हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

प्रस नोट

No.BSEH/SRS/2026 **NOTIFICATION NO. 79 /2026**

DATE- 10.04.2026

विषय— सैकेण्डरी/सैकेण्डरी—सह—पूर्व—मध्यमा तथा सीनियर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी सह—उत्तर मध्यमा की द्वितीय वार्षिक परीक्षा आयोजित करवाने हेतु पूर्व में निर्धारित की गई अंतिम तिथि को बढ़ाने बारे।

उपरोक्त विषय बारे पूर्व में जारी प्रैस नोट **No.BSEH/SRS/2026, NOTIFICATION 77 /2026 DATED-03-04-2026** की निरन्तरता में

शैक्षिक सत्र 2025—26 से सैकेण्डरी/सैकेण्डरी—सह—पूर्व—मध्यमा तथा सीनियर सैकेण्डरी/ सीनियर सैकेण्डरी सह—उत्तर मध्यमा की द्वितीय वार्षिक परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित करवाने से संबंधित बिना विलम्ब शुल्क सहित तिथि का निर्धारण दिनांक 10.04.2026 तक किया गया था जिसको अब दिनांक 12.04.2026 तक बढ़ाया जाता है।

इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है—

01. इस परीक्षा के लिए ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो प्रथम वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च—2026 में प्रविष्ट हुए परंतु अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों स्वयंपाठी तौर पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

02. इसके अतिरिक्त अपरिहार्य कारणों जैसे—गंभीर बिमारी/चोट/खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता इत्यादि परिस्थितियों के कारण यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सका है, तो ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए निर्धारित शुल्क ऑफ—लाईन तथा सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाते हुए द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकते है।

03. परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हुए विषयों में अतिरिक्त विषय को छोड़कर एक से तीन विषयों का आवेदन फॉर्म भर सकता है अगर कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा है, फिर भी उसके द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसे परीक्षार्थी का आवेदन फार्म अयोग्य मानते हुए रद्द किया जाएगा एवं इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होगा।

ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु हैल्पलाईन नं0 01664—254300 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

—हस्ता—

उप—सचिव (परीक्षाएं)